

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 2/2019/319/एक-1-2019-रा0-1
लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 2019

अधिसूचना

जिलाधिकारी, अमेठी के पत्र संख्या-425/डी0एल0आर0सी0/2019 दिनांक-21/02/2019 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-जी-249/5-166ए/2019 दिनांक-25.02.2019 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम ताला परगना व तहसील अमेठी जनपद-अमेठी स्थित आरक्षित श्रेणी भीटा खाते के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या-505मि0 रकबा 3.240हे0 के निःशुल्क श्रेणी परिवर्तन तथा उसी ग्राम के नवीन परती, बंजर व ऊसर खाते में दर्ज निम्न सूची में उल्लिखित कुल 45 किता कुल रकबा 3.240हे0 भूमि को भीटा के रूप में दर्ज करने तथा उक्त संहिता की धारा-59 की उपधारा-4(ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क पुनर्ग्रहीत कर माध्यमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमति सूची के पश्चात उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं।

सूची:-

क्र0 सं0	ग्राम ताला तहसील व जनपद-अमेठी स्थित भूमि जो भीटा के रूप में आरक्षित की जायेगी, का गाटा संख्या	ग्राम ताला तहसील व जनपद-अमेठी स्थित भूमि जो भीटा के रूप में आरक्षित की जायेगी, का रकबा (हे0 में)	भूमि की श्रेणी
1.	3	0.0190	नवीन परती
2.	75मि0	0.1630	नवीन परती
3.	431	0.0840	नवीन परती
4.	585क	0.0250	नवीन परती
5.	590	0.0270	नवीन परती
6.	638	0.0190	नवीन परती
7.	748	0.0630	नवीन परती
8.	359	0.0120	नवीन परती
9.	355	0.0160	नवीन परती
10.	107क	0.4130	बंजर
11.	108क	0.170	बंजर
12.	114	0.1010	बंजर
13.	287	0.1000	बंजर

14.	303ख	0.1270	बंजर
15.	305	0.0540	बंजर
16.	310	0.0510	बंजर
17.	311ख	0.0130	बंजर
18.	313	0.1390	बंजर
19.	315	0.0380	बंजर
20.	316	0.0390	बंजर
21.	321ख	0.0170	बंजर
22.	322	0.1070	बंजर
23.	360	0.0220	बंजर
24.	367	0.0610	बंजर
25.	441	0.0190	बंजर
26.	443	0.0380	बंजर
27.	444	0.0720	बंजर
28.	488	0.0550	बंजर
29.	582ख	0.0310	बंजर
30.	585ख	0.0260	बंजर
31.	587	0.0400	बंजर
32.	589	0.0510	बंजर
33.	596क	0.021	बंजर
34.	975ख	0.0610	बंजर
35.	1035	0.1100	बंजर
36.	1242	0.2280	बंजर
37.	618	0.1770	बंजर
38.	217	0.0400	ऊसर
39.	218	0.0350	ऊसर
40.	219मि0	0.0370	ऊसर
41.	516	0.0250	ऊसर
42.	769	0.0160	ऊसर
43.	923	0.0380	ऊसर
44.	935	0.0250	ऊसर
45.	173मि0	0.1850	ऊसर
	कुल 45 किता	3.2400	

- (1)- ग्राम ताला परगना व तहसील अमेठी जनपद-अमेठी स्थित आरक्षित श्रेणी भीटा खाते के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या-505मि0 रकबा 3.240हे0 का निःशुल्क श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है।
- (2)- ग्राम ताला परगना व तहसील अमेठी जनपद-अमेठी स्थित आरक्षित श्रेणी भीटा खाते के रूप में दर्ज भूमि गाटा संख्या-505मि0 रकबा 3.240हे0 का निःशुल्क श्रेणी परिवर्तन के पश्चात उक्त भूमि का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखा जायेगा।
- (3)- कलेक्टर द्वारा ग्राम ताला परगना व तहसील अमेठी जनपद-अमेठी स्थित नवीन परती, बंजर व ऊसर खाते में दर्ज उपरोक्त सूची में उल्लिखित कुल 45किता कुल रकबा 3.240हे0 भूमि को भीटा के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।
- (4)- आरक्षित श्रेणी की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।
- (5)- कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या- (1)/ एक-1-2019-रा0-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, अमेठी को उनके पत्र संख्या-425/डी0एल0आर0सी0/2019 दिनांक- 21/02/2019 के आलोक में।
- 5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 10 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराएं।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर सिंह चौहान
विशेष सचिव